न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मकराना

बइजलास – सुनील कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 137/2021

वादीगण :–

1. राजेशकंवर पुत्री मनोहरसिंह
2. राजेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह
3. बृजेशकंवर पुत्री मनोहरसिंह
4. रितुकंवर पुत्री मनोहरसिंह
5. गीताकंवर पत्नि मनोहरसिंह

जाति सभी राजपूत निवासीगण आसरवा तहसील मकराना

प्रतिवादी :–

1. सवाईसिंह पुत्र नाहरसिंह
2. प्रिंतमसिंह पुत्र चिमनसिंह (फोत) के वारिसान–
   2/1 बलवीरसिंह पुत्र प्रिंतमसिंह
   2/2 रविन्द्रसिंह पुत्र प्रितमसिंह
   2/3 अंजूकंवर पुत्री प्रितमसिंह
   2/4 सुमन पुत्री प्रिंतमसिंह
3. रघुवीरसिंह पुत्र चिमनसिंह
4. श्यामसिंह पुत्र चिमनसिंह
5. हवाकंवर पत्नि चिमनसिंह
6. अजयपालसिंह पुत्र नाहरसिंह (फोत) के वारिसान
   6/1 कमलकंवर पत्नि अजयपालसिंह
   6/2 सुरेन्द्रसिंह पुत्र अजयपालसिंह
   6/3 सुशिल कंवर पुत्री अजयपालसिंह
   6/4 सरोजकंवर पुत्री अजयपालसिंह
   6/5 मनोहरकंवर पुत्री अजयपालसिंह
   6/6 दीनूकवंर पुत्री अजयपालसिंह
7. मकतुलसिंह पुत्र रावतसिंह
8. बलपकंवर पुत्री छोटूसिंह
9. सदाकंवर पत्नि छोटूसिंह
10. भंवरसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह (फोत) के वारिसान
    10/1 दाखकंवर पत्नि भंवरसिंह
    10/2 मूलसिंह पुत्र भंवरसिंह
    10/3 भगतसिंह पुत्र भंवरसिंह
    10/4 गजेन्द्रसिंह पुत्र भंवरसिंह
    10/5 आनन्दसिंह पुत्र भंवरसिंह
    10/6 खिंवसिंह पुत्र भंवरसिंह (फोत) के वारिसान–
    10/6/1 किरणकंवर पत्नी खिंवसिंह
    10/6/2 ओमसिंह पुत्र खिवसिंह
    10/6/3 पृथ्वीसिंह पुत्र खिंवसिंह
11. मदनसिंह पुत्र श्रीबगसिंह (डिलिट)
12. मोतीसिंह पुत्र श्रीबगससिंह
13. मानसिंह पुत्र मलसिंह
14. राजेन्द्रसिंह पुत्र हेमसिंह
15. लिछमणसिंह पुत्र हेमसिंह
16. खडकसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह
17. गणेशसिंह पुत्र ज्ञानसिंह (फोत) के वारिसान–

उपखण्ड अधिकारी

17/1 कल्याणसिंह पुत्र गणेशसिंह

17/2 अमरसिंह पुत्र गणेशसिंह (फोत) के वारिसान

17/2/1 शंकरसिंह पुत्र अमरसिंह

18. गुलाबकंवर पत्नि गजेन्द्रसिंह

19. दलसिंह पुत्र मोहब्बतसिंह (फोत) के वारिसान

19/1 सरजीतसिंह पुत्र दलसिंह

19/2 मूलसिंह पुत्र दलसिंह

19/3 प्रतापसिंह पुत्र दलसिंह

19/4 भवानीसिंह पुत्र दलसिंह

19/5 गुलाबकंवर पत्नी दलसिंह

20. दिलिपसिंह पुत्र खिवसिंह

21. सवाईसिंह पुत्र तेजसिंह

22. हरिसिंह पुत्र सादुलसिंह (डिलिट)

23. भैरूसिंह पुत्र बजरंगसिंह

24. भंवरसिंह पुत्र बजरंगसिंह (फोत) के वारिसान –

24/1 संतोषकंवर पुत्री भंवरसिंह

24/2 निरमाकवंर पुत्री भंवरसिंह

25. भंवरीकंवर पुत्री बजरंगसिंह

26. रावतसिंह पुत्र उगमसिंह (फोत) के वारिसान

26/1 मकतुल दतक पुत्र रावतसिंह

जाति सभी राजपूत निवासीगण आसरवा तहसील मकराना

27. तहसीलदार मकराना (लैण्ड होल्डर) मकराना

वकील वादी – श्री राजूराम चौधरी उपस्थित

<u>दावा बाबत अधिकारों की घोषणा, रेकर्ड दुरूस्तीकरण</u>

<u>निर्णय</u>

वाद वादी संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व प्रतिवादी संख्या 06 के वारिसान नाहरसिंह पुत्र उगमसिंह के वारिसान है एवं प्रतिवादी संख्या 7 नाहरसिंह का जायन्दा पुत्र है परन्तु प्रतिवादी संख्या 7 रावतसिंह के गोद चलं गये एवं नाहरसिंह के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता [redacted] है एवं नाहर की मृत्यु के पश्चात नाहरसिंह की चल अचल सम्पति पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का ही कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है। मौजा आसरवा में वादीगण के दादा/ससुर नाहरसिंह पुत्र उगमसिंह के नाम से खातेदार खेत खसरा संख्या 155/1 रकबा 0.3157 हैक्ट. खसरा संख्या 148 रकबा 0. 0809 हैक्ट. खसरा संख्या 149 रकबा 0.9712 हैक्ट. खसरा संख्या 149/10 रकबा 0.6232 हैक्ट. खसरा संख्या 149/11 रकवा 0.7689 हैक्ट. खसरा संख्या 149/2 रकबा 0.4371 हैक्ट. खसरा संख्या 149/3 रकबा 0.4371 हैक्ट. खसरा संख्या 149/4 रकवा 0.4452 हैक्ट. खसरा संख्या 149/5 रकबा 0.3561 हैक्ट. खसरा संख्या 149/6 रकवा 0.7042 हैक्ट. खसरा संख्या 149/7 रकबा 0.8013 हैक्ट. खसरा संख्या 149/8 रकवा 1.2869 हैक्ट. खसरा संख्या 149/9 रकबा 0.4290 हैक्ट. खसरा संख्या 214/4 रकबा 0. 1133 हैक्ट. आई हुई है एवं उपरोक्त खसरान की भूमि में वादीगण के दादा एवं ससुर के स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के पिता व पति के नाम म्युटेशन दर्ज करते समय मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज कर दिया, वादीगण के पिता व पति के जीवनकाल में उक्त खसरान की कृषि भूमि पर हिस्से अनुसार उनका कब्जा स्वामित्व चला आ रहा था एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के पिता व पति एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 6 का कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है। वादीगण के पिता एवं पति का स्वर्गवास दिनांक 16.01.2015 को हो गया एवं उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके हक हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 155/1, 241, 148, 149, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/-10, 149/11 व खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

241/4 पर वादीगण का ही कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है। मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह का कोई व्यक्ति ग्राम आसरवा में नाहरसिंह पुत्र उगमसिंह का वारिसान वादीगण के पिता व पति के अलावा और कोई व्यक्ति नही है, सहवन से मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज हो गया जिसके वारिसान वादीगण ही है। वादीगण के पिता व पति का शुरू से ही मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह ही था एवं वादीगण के समस्त दस्तावेजो में मनोहरसिंह ही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता एवं पति का नाम मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज होने से उक्त खसरान की भूमि का म्युटेशन वादीगण के नाम दर्ज नही किया जा रहा है। अतः वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी फरमाई जावे कि मौजा आसरवा क खेत खसरा संख्या 155/1, 241, 148, 149, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 149/11, 241/4 में वादीगण को राजस्व रेकर्ड में दर्ज मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति राजपूत के वारिसान होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश का प्रतिवादी संख्या 2, 10, 11, 17, 19, 22, 24 व 26 के फोत होने से उनके वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर स्वीकार किया गया। संशोधित शीर्षक पेश किया जो शा.मि. किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 6/1 ता 8, 12, 16 के समन बाद तामिल पेश शा.मि. किये गये। बावजूद इतला अनुपस्थित रहने से एकपक्षियत कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 27 तहसीलदार मकराना द्वारा जवाब पेश किया जो शा.मि. किया गया। वकील वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 9 ता 11, 13 ता 15 व 17 ता 26 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही होने से डिलिट किये जाने बाबत पेश किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 9 ता 11, 13 ता 15 व 17 ता 26 का नाम डिलिट किया गया। तहसीलदार मकराना द्वारा अपने जवाब में जाहिर किया गया कि ग्राम आसरवा के खसरा संख्या 241/2, 148, 149, 149/2 से 149/11, 241/4, 155/1 में खातेदार/सहखातेदार मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में पटवारी हल्का प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार जमाबन्दी में अंकित उक्त खातेदार/सहखातेदार मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह एवं मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह एक ही व्यक्ति है। वकील वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में मौजा आसरवा में वादी के पिता का खातेदारी खेत खाता संख्या 159, 164, 188 की नकल, मनोहरसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र व वादीगण के आधारकार्ड की प्रतियां पेश की गई जो शा. मि. की गई।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य एंव तहसीलदार मंकराना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का आधोपन्त अध्ययन एवं मनन किया। दस्तावेजी साक्ष्यो एवं तहसीलदार मकराना की रिपोर्ट अनुसार वादीगण के पिता का सही नाम मनोहरसिंह होना एवं मौरसिंह व मनोहरसिंह एक ही व्यक्ति होना प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार योग्य होने से डिकी किया जाता है कि मौजा आसरवा क खेत खसरा संख्या 155/1, 241/2, 148, 149, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10, 149/11, 241/4 में दर्ज वादीगण के पिता का मौरसिंह पुत्र नाहरसिंह के स्थान पर मनोहरसिंह पुत्र नाहरसिंह दुरूस्तीकरण किया जावे। तहसीलदार मकराना को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29/5/24.........को सरे इजलास सुनाया गया।

29/5/24

उपखण्ड अधिकारी
मकराना

उपखण्ड अधिकारी
मकराना